प्रेस नोट *24/12/2024*

पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा वादियो से वार्ता कर समस्याओं को सुना गया–

आज दिनांक 24.12.2024 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा पुलिस कार्यालय में वादी दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें जनपद के थानों पर पंजीकृत मुकदमें से सम्बन्धित वादियों को नोटिस भेज कर प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को आयोजित वादी दिवस पर बुलाये जाने के क्रम में वादियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को पूछा गया जिसके निस्तारण तथा निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना किये जाने हेतु सर्वसम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

साइबर फ्राडर द्वारा बैंक कर्मी बनकर लोन दिलाने के नाम पर हुआ धोखाधडी से निकाली गयी 63530 रुपये को वादी के खाते में वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम मऊ में पंजीकृत अभियोग 23/24 धारा 419,420 IPC व 66सी, 66डी आईटी एक्ट में नि0 संजय कुमार सरोज,विवेचक व साइबर क्राइम मऊ व थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम (संयुक्त टीम) द्वारा त्वरित कर्यवाही करते हुए वादी के खाते से साइबर अपराधियों द्वारा बैंक कर्मी बनकर लोन दिलाने के नाम पर हुऐ धोखाधडी से निकाली गयी 63530 रुपये धनराशि को वादी के खाते में वापस कराया गया।

साइबर सुरक्षा टिप्स-

01. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।

02. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

03. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।

04. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।

नोट- साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है।

बरामदकर्ता संयुक्त पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम , नि0 संजय कुमार सरोज,विवेचक (प्रभारी डायल 112 जनपद मऊ), हे0का0 शैलेन्द्र कुमार कनौजिया, का0 प्रभात कुशवाहा, का0 प्रदीप कुमार पटेल, थाना साइबर क्राइम थाना मऊ।

प्रभारी निरीक्षक थाना कोपागंज श्री नवलकिशोर सिंह, उ0नि0 हरिकेश यादव, क0आ0 अभिजित पटेल, का0 अंकित चौरसिया, म0का0 उर्वशी शुक्ला थाना कोपागंज जनपद मऊ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत आबकारी अधिनियम में एक दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अवधि व ₹2,000 के अर्थदंड से किया गया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एसीजेएम/एसडी जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 23-12-2024 को मु0अ0सं0 87/2023 के धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्ता शीला देवी पत्नी जैनेन्द्र कुमार पाण्डेय निवासी नहर चौक वार्ड सं0 8 थाना मधुबन मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने की अवधि तक सजा एवं ₹2,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।